

ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग का वसितार

प्रलिस के लयि:

अन्य पछिडा वर्ग का आरक्षण, राषट्रीय पछिडा वर्ग आयोग ।

मेन्स के लयि:

उप-वर्गीकरण आयोग और उसके उद्देश्य ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति रोहणी आयोग को [अन्य पछिडा वर्ग \(OBC\) के उप-वर्गीकरण](#) की जाँच करने और 31 जनवरी, 2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये 13वाँ वसितार दिया है ।

- आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रारंभिक समय-सीमा 12 सप्ताह थी (2 जनवरी, 2018 तक) ।

प्रमुख बडि

आयोग:

- 2 अक्टूबर, 2017 को राषट्रपति के अनुमोदन के उपरांत संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित इस आयोग को रोहणी आयोग (Rohini Commission) भी कहा जाता है ।
- इसे अन्य पछिडा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण और उनके लिये आरक्षित लाभों के समान वतिरण का काम सौंपा गया था ।
 - वर्ष 2015 में [राषट्रीय पछिडा वर्ग आयोग](#) (National Commission for Backward Classes- NCBC) ने सफिरशि की थी कि OBC को अत्यंत पछिडे वर्गों, अधिक पछिडे वर्गों और पछिडे वर्गों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये ।
 - NCBC के पास सामाजिक और शैक्षिक रूप से पछिडे वर्गों के संबंध में शकियतों व कल्याणकारी उपायों की जाँच करने का अधिकार है ।

आयोग के वचिरार्थ वषिय:

- केंद्रीय OBC सूची में वभिनिन जातियों के बीच आरक्षण लाभों के असमान वतिरण की जाँच करना ।
- अन्य पछिडा वर्गों के मध्य उप-वर्गीकरण के लिये वैज्ञानिक दृषटकिण में तंत्र, मानदंड तैयार करना ।
- व्यापक डेटा कवरेज हेतु संबंधित जातियों/समुदायों/उप-जातियों/समानार्थक की पहचान करने का प्रयास करना ।
- किसी भी प्रकार के दोहराव, असपष्टता, वसिंगतियों और वरतनी या प्रतलिखन की त्रुटियों का अध्ययन एवं सुधार की सफिरशि करना ।

वर्तमान प्रगत:

- आयोग राज्य सरकारों, राज्य पछिडा वर्ग आयोगों, सामुदायिक संघों आदि के प्रतनिधियों के मध्य परस्पर समन्वय करता है । इसके अलावा उच्च शकक्षण संस्थानों और केंद्रीय वभिगों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वत्तीय संस्थानों में भरती होने वाले [OBC के जाति-आधारित आँकड़ों](#) का संकलन करता है ।
- वर्ष 2021 में आयोग ने ओबीसी को चार उपश्रेणियों संख्या 1, 2, 3 और 4 में वभिजति करने तथा 27% आरक्षण को क्रमशः 2, 6, 9 और 10% में वभिजति करने का प्रस्ताव दिया ।
- इसने सभी ओबीसी रकिॉर्ड के पूर्ण डजिटलीकरण और ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की एक मानकीकृत प्रणाली की भी सफिरशि की ।

ओबीसी आरक्षण की स्थिति:

- वर्ष 1953 में स्थापित कालेकर आयोग, राषट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के अलावा अन्य पछिडे वर्गों की पहचान करने वाला पहला आयोग था ।

- मंडल आयोग की रिपोर्ट, 1980 में ओबीसी जनसंख्या 52% होने का अनुमान लगाया गया था और 1,257 समुदायों को पछिड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
 - इसने ओबीसी को शामिल करने के लिये मौजूदा कोटा, जो केवल एससी/एसटी के लिये था, को 22.5% से बढ़ाकर 49.5% करने की सफारिश की।
- केंद्र सरकार ने OBC [अनुच्छेद 16 (4)] के लिये यूनियन सविलि पदों और सेवाओं में 27% सीटें आरक्षण की हैं। कोटा बाद में केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों [अनुच्छेद 15 (4)] में लागू किया गया।
 - वर्ष 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को OBC के बीच क्रीमी लेयर (उन्नत वर्ग) को बाहर करने का निर्देश दिया।
- 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जो पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/extension-to-obc-sub-categorisation-commission-1>

